



भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
कृषि भवन : नई दिल्ली
KRISHI BHAVAN : NEW DELHI

No. F.1(3)/2013 – CR(A)&RTI

Dated : May 21, 2013

ENDORSEMENT

Central Vigilance Commission has issued a circular vide No.CVC/RTI/Misc/10/002 dated 04.04.2013 regarding Delhi High Court's decision in LPA No.618/ 2012 dt. 06.11.2012 in the matter of disclosure of information under the provisions of RTI Act, relating to disciplinary matter. The above mentioned circular is being uploaded on the ICAR's Website www.icar.org.in for information and necessary action.



(K.N. CHOUDHARY)
DEPUTY SECRETARY (ADMN.)
Tel. 011-23386978

Distribution:

1. The Directors of all ICAR Institutes/ NRCs/ PDs/ Bureaux/ ZPDs.
2. Sr. PPS to Secretary (DARE) & DG, ICAR/ PPS to AS(DARE) & Secretary, ICAR/ PPS to AS&FA, DARE/ICAR/ PPS to Chairman, ASRB.
3. ADG(PIM)/ ADG(CDN)/ Proj. Dir.(DKMA), ICAR.
4. All Officers/ Sections at ICAR Hqrs. at KB/ KAB-I/ KAB-II/ NASC Complex.
5. ARIC, ICAR for placing this circular under RTI Act on the Council's website.



आरटीआई मागला



भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि भवन : नई दिल्ली

मि०स

2013 – सी.आर. (ए) एवं आर.टी.आई

दिनांक: 21 मई, 2013

पृष्ठांकन

किया
में मा
परिष
अपल

य सतर्कता आयोग ने परिपत्र संख्या CVC/RTI/Misc/10/002 दिनांक 04 अप्रैल, 2013 जारी प्रशासनिक मामलों से संबंधित जानकारी के प्रकटीकरण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के संदर्भ में नई दिल्ली उच्च न्यायालय ने एल.पी.ए. नं० 618/2012 दिनांक 04.04.2012 में निर्णय दिया है। उपर्युक्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वेबसाइट www.icar.org.in पर जानकारी तथा कार्रवाई हेतु दिया गया है।

(के०एन० चौधरी)

उप सचिव (प्रशासन)

दूरभाष : 011-23386978

वित्त

भारतीय अनुसंधान परिषद के सभी अनुसंधान संस्थान / राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र / परियोजना निदेशालय / क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय के निदेशक, डेयर एवं महानिदेशक, भा०कृ०अनु०प० के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव / अपर सचिव, डेयर एवं सचिव, कृ०अनु०प० के प्रधान निजी सचिव / अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार (डेयर / भा०कृ०अनु०प०) के निजी सचिव / चेयरमैन, कृ०वै०च०मं० के प्रधान निजी सचिव।
भारतीय अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक (पी.आई.एम.) / सहायक महानिदेशक (समन्वय) / परियोजना निदेशक (डी.के.एम.ए.)।
भारतीय अनुसंधान परिषद के सभी अधिकारी / अनुभाग (कृषि भवन / कृषि अनुसंधान भवन – 1 एवं 2 / ए.एस.सी. कम्प्लेक्स)।
क, भारतीय अनुसंधान परिषद (इस पृष्ठांकन को परिषद के वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए)।